न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 28/2023 **तारीख रजू:–26.09.2023**

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. प्रेमशंकर पुत्र मोहनलाल जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. बन्टी पुत्र मोहनलाल जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. सुकेन्दर पुत्र मोहनलाल जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. भंवरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. रामनिवास पुत्र चतुर्भुज जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. बजरंग लाल पुत्र चतुर्भुज जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर), तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थित:–

वकील वादीगण:– श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2:–श्री हरिराम प्रजापत, एडवोकेट

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0 एक्ट एवं ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1993 की पालना में नामान्तरकरण खोलने।

निर्णय दिनांक:–26.07.2024

1. यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के स्थाई निवासी हैं। आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 970 रकबा 11 बीघा किरम तालाबी कुल किता 1 कुल रकबा 11 बीघा मे हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। जिसको वादीगण संख्या 01 लगायत 03 के पिता एवं वादिया संख्या 04 के पति मोहनलाल पुत्र श्योजीराम काछी [illegible] रामनिवास एवं बजरंग लाल पुत्र चतुर्भुज काछी निवासी सारसोप से जरिये [illegible] पत्र 18.08.1993 को खरीद की है तब से मोहनलाल एवं मोहनलाल की [illegible] के बाद वादीगण उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। भूप्रबंन्ध विभाग द्वारा उक्त [illegible] साबिक खसरा नम्बर 970 रकबा 11 बीघा के नये खसरा नम्बर 1199 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 है0 बनाये हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात जिसके नवीन खसरा नम्बर 1199 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 1206 रकवा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 है0 प्रतिवादी संख्या 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 10:40:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

रामनिवास व प्रतिवादी संख्या 02 बजरंग लाल के नाम हिस्सा 1/4 व 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/2 भाग नाम जमाबन्दी मे दर्ज है। जबकि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 को नामान्तकरण दर्ज करने हेतु जमाबन्दी की नकल पेश कर दी नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि पर मोहनलाल एवं मोहनलाल की मृत्यु के बाद वादीगण का दिनांक 18.08.1993 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का वादी के उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नही है आज भी उपरोक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है। वादीगण द्वारा क्रय की गई भूमि साबिक खसरा नम्बर 970 रकबा 11 बीघा के नये खसरा नम्बर 1199 रकबा 2.53 है० खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 हैं0 में हिस्सा 1/2 भाग का नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 03 को विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1993 की प्रति प्रतिवादी संख्या 03 को प्रस्तुत कर दी परन्तु उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण आज दिनांक तक भी दर्ज नही किया है। वादीगण को उपरोक्त खसरा नम्बर 1199 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 है0 में हिस्सा 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 01 रामनिवास व प्रतिवादी संख्या 02 बजरंग लाल के नाम हिस्सा 1/4 व 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/2 भाग नाम जमाबन्दी मे गलत दर्ज होने का पता वादीगण को तब लगा जब वादी दिनांक 15.07.2023 को जमाबन्दी की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पता चला की अभी तक वादीगण के नाम विक्रय पत्र का नामान्तकरण तस्दीक नही हुआ जिस पर वादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय चौथ का बरवाडा को विक्रय पत्र का नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का सारसोप द्वारा दिनांक 25.07.2023 को जॉच कर उसकी जॉच रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार महोदय चौथ का बरवाड़ा को प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय ने विक्रय पत्र भूप्रबंन्ध से पूर्व का होने के कारण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु अवगत कराया तब जाकर उक्त गलती का पता चला। राजस्व रिकार्ड मे हुये गलत इन्द्राज को शुद्ध करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए यह दावा जानकारी व नकल मिलने पर दिनांक 24.08.2023 से अन्दर अवधी पेश है। प्रतिवादी संख्या 03 लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय से घोषणा इस अमर [illegible] संख्या 03 में वर्णित आराजीयात वादी की खरीद शुदा भूमि है। [illegible] उक्त भूमि के काश्तकार है। एवं प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] नम्बर 1199 रकबा 2.53 है0 खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.78 है० प्रतिवादी संख्या 01 रामनिवास व प्रतिवादी संख्या 02 बजरंग लाल के नाम हिस्सा 1/4 व 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि का 1/2 भाग पर से गलत नाम से इन्द्राज को दुरूस्त करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 रामनिवास एवं बजरंगलाल पुत्रान चतुर्भुज काछी निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 10:40:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

हटाकर अपनी खातेदारी में दर्ज करावें। अतः उद्घोषणा इस अमर फरमाई जावे कि वाके ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित वर्तमान खसरा नंबर 1199 रकबा 2.53 है0, खसरा नंबर 1206 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.78 है0 में हिस्सा 1/2 भाग वादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता एवं वादिया संख्या 04 के पति मोहनलाल पुत्र श्योजीराम काछी की खरीद शुदा आराजीयात को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाने के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। समस्त रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एवं रेवेन्यू रिकॉर्ड में से उपरोक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी में से हजफ कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करें व ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1993 की पालना में नामान्तरकरण भरा जाकर समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित वर्तमान खसरा नंबर 1199 रकबा 2.53 है0, खसरा नंबर 1206 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.78 है0 में हिस्सा 1/2 भाग में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामत व मुखाफलत नहीं करे न रहन व विक्रय करे न हस्तान्तरित करें व स्वयं दीगर व्यक्ति नोकर ऐजेन्ट से करावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना जवाब जरिये वकील इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वादीगण का वादपत्र बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1993 की पालना में वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

4. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से एक राजीनामा इस अमर प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत [illegible] किया है। प्रतिवादीगण ने स्वयं की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा [illegible] 9[illegible] [illegible]कबा 11 बीघा हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण को बेचान वादीगण के [illegible] मोहनलाल को [illegible] दिया था, जो सही है। वर्तमान में सा0 खसरा नंबर 970 के नवीन खसरा नंबर 1199 रकबा 2.53 है0, खसरा नंबर 1206 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.78 है0 बनाये है। उपरोक्त भूमि में हमारे हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण वादीगण (मोहनलाल के वारिस) के नाम खोला जाने बाबत् राजीनामा कर लिया है। अतः राजीनामा उभयपक्ष स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण को डिक्री किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 10:40:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

5. यह है कि हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तथ्यों का मनन किया। प्रकरण में उभयपक्षों के बीच राजीनामा हो चुका है, जिसके अनुसार प्रतिवादीगण ने स्वयं की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 970 रकबा 11 बीघा में 1/2 हिस्सा को वादीगण के पिता मोहनलाल पुत्र श्योजीराम काछी को बेचान कर दिया एवं उक्त बेचान की गई भूमि का नामान्तरकरण वादीगण (मोहनलाल पुत्र श्योजीराम के वारिस) के नाम खोले जाने हेतु राजीनामा कर लिया गया है। अतः प्रकरण में साबिक खसरा नंबर 970 रकबा 11 बीघा का 1/2 हिस्सा प्रतिवदी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के पिता मोहनलाल पुत्र श्योजीराम जाति काछी को बेचे जाने की पुष्टि होती है। पत्रावली में वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल अथवा अन्य कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पुष्टि होती हो कि साबिक खसरा नंबर 970 रकबा 11 बीघा से नवीन खसरा नंबर 1199 रकबा 2.53 है0 एवं खसरा नंबर 1206 रकबा 0.25 है0 बने हैं। साथ ही क्रेता मोहनलाल पुत्र श्योजीराम जाति काछी के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है, इसके संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण के नाम नामान्तरकरण खोलने से पहले तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा साबिक खसरा नंबर से बने नवीन खसरा नंबरान और क्रेता मोहनलाल पुत्र श्योजीराम जाति काछी के विधिक वारिसान के संबंध में जांच करके ही नामान्तरकरण खोला जाना न्यायोचित है।

6. उक्त विवेचन के आधार पर मैं वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:आदेश:—

अतः वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 970 रकबा 11 बीघा से बने नवीन खसरा नंबरान की एवं केता मोहनलाल पुत्र श्योजीराम काछी के विधिक वारिसान की जांच करें तथा साबिक खसरा नंबर 970 रकबा 11 बीघा से बने नवीन खसरा नंबरान में से 1/2 हिस्से का मोहनलाल पुत्र श्योजीराम काछी के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगणों के कब्जेकाश्त की भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें। उभयपक्ष अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री [illegible] से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 10:40:53 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

1. **प्रेमशंकर पुत्र मोहनलाल जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
2. **बन्टी पुत्र मोहनलाल जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
3. **सुकेन्दर पुत्र मोहनलाल जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
4. **भंवरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति काछी, निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**

बनाम

1. **रामनिवास पुत्र चतुर्भुज जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।**
2. **बजरंग लाल पुत्र चतुर्भुज जाति काछी निवासी सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।**
3. **तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा**

नम्बर मुकदमा 28 सन् 2023

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0 एक्ट एवं ग्राम सारसोप पटवार हल्का सारसोप के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1993 की पालना में नामान्तरकरण खोलने।

वादीगण की ओर से **श्री हंसराज यादव एड.** एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री हरिराम प्रजापत एड.** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 19.07.2024 को **श्री दामोदर सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और डिकी जारी की जाती है कि** वाके ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 970 रकबा 11 बीघा से बने नवीन खसरा नंबरान की एवं केता मोहनलाल पुत्र श्योजीराम काछी के विधिक वारिसान की जांच करें तथा साबिक खसरा नंबर 970 रकबा 11 बीघा से बने नवीन खसरा नंबरान में से 1/2 हिस्से का मोहनलाल पुत्र श्योजीराम काछी के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगणों के कब्जेकाश्त की भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 26.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

वादी		रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	10	00			
	जोड	12	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 10:40:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा